

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

क्रमा नं0 161/2021

1. राजेन्द्र
2. गिरधारी
3. मोहरपाल
4. रामप्रसाद
5. सुखराम पिसरान सरनी
6. लक्ष्मी पत्नि सरनी जाति कुम्हार निवासी ग्राम सांवलेर तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

2. ज्ञानवती पत्नि गिराज
3. तोताराम पुत्र शादी
4. नरेश पुत्र गिराज
5. पूजा पुत्री गिराज
6. प्यारेलाल पुत्र शादी
7. पिंकी पुत्री गिराज
8. मनोहर लाल पुत्र शादी
9. महेश पुत्र गिराज
10. राधेलाल
11. हुकम
12. हरिसिंह पिसरान शादी
13. सुनील
14. अनिल
15. मोहित पिसरान नन्नू
16. पूजा पुत्री नन्नू जाति कुम्हार निवासी ग्राम सांवलेर तहसील पहाडी
17. रोहित
18. ज्योति
19. लक्ष्मी पिसरान नन्नू नाबालिग जरिये संरक्षक भाई सुनील पुत्र नन्नू जाति कुम्हार निवासी सांवलेर तहसील पहाडी भरतपुर

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)


उपस्थित :- श्री प्रहलाद सिंह वकील वादीगण

दिनांक :- 10/02/2022

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादीगण संख्या तरतीवी 17 लगायत 19 नाबालिग है जो कि अपने भाई सुनील के संरक्षण में रहकर परवरिश पा रहे है। वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 19 के हक एवं हित समान है वक्त दावा दायरी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हे तरतीवी प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है। जमाबन्दी में दर्ज सह खातेदार नन्नू फौत हो चुका है। जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 19 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। इसी प्रकार जमाबन्दी में दर्ज सह खातेदार शौया पत्नि शादी भी फौत हो चुकी है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 12 है। आराजी खसरा नम्बर साविक 1998/1.20, 1600/0.30 हाल खसरा नम्बर 2268/1.30, 2270/0.30 बांके ग्राम सांवलेर तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान की आराजी है। जिस पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान वाहैसियत खातेदार के रूप में अपने सम्पूर्ण जीवनकाल तक कब्जे काश्त की उनके मरने के बाद वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा खातेदार की हैसियत से कब्जे काश्त है। इस प्रकार आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान आराजी पर काश्त करते रहे और हाल में वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त है। वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण निरन्तर रूप से खातेदार की हैसियत से आराजी पर काबिज है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का नाम खातेदार नहीं होकर गैरखातेदार दर्ज कर रखा है। जबकि कानूनन वादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार दर्ज कर देना चाहिए था। आराजी संलग्न रिकॉर्ड से साबित है। कि पुश्तैनी आराजी है। वादीगण को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरुद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादीगण विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 14/01/2022 को वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये जबाब पेश किया है कि


उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान मवासी पुत्र सदाराम मौरोसी की आराजी है। संलग्न नकल खसरा गिरदावरी 2008 लगायत 2012 में आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान के नाम मौरोसी के रूप में दर्ज है। जिस पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान ने कब्जे काश्त की और उसके बाद वारिसान वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का लगातार कब्जा चला आ रहा है। आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही बुजुर्गान वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की मौरोसी की आराजी थी और अब वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज है। मुताबिक कानून वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदारी दिया जाना आवश्यक है। आराजी पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। आराजी कस्टोडियन नहीं है एवं धारा 16 के तहत नहीं आती है एवं आराजी पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण फसल बोते है। अतः वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदारी दिया जाना न्यायहित में है। तहसीलदार पहाडी से विवादित आराजी के सम्बन्ध में तीन बिन्दु आया आराजी कस्टोडियन है या नहीं, प्रश्नगत आराजी पर किसी प्रकार का विवाद तो नहीं है, प्रश्नगत आराजी पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को कब्जा है या नहीं, तहसीलदार पहाडी की रिपोर्ट दिनांक 03/02/2022 के मुताबिक आराजी कस्टोडियन नहीं है, आराजी पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और ना ही कोई विवाद किसी न्यायालय में विचाराधीन है, उक्त आराजी पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का ही कब्जा है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।
तनकी संख्या 1 :- आया आराजी मुतदाविया वादीगण की की पुश्तैनी आराजी है।
वादीगण

तनकी संख्या 2 :- आया आराजी को वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है।
वादीगण

3:- दादरसी :-
 वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1
 पी0डब्लू02 मनोहर, के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल
 सम्वत 2013-16, 2017-20, 2018-21, 2025-28, 2033-36, 2037-40,
 2046-49, 2050-53, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2008'12, 2018-21, 2061-64
 व मिलान क्षेत्रफल पेश किये है।
 बहस वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज
 तथ्यों को दोहराया ।

रूपखण्ड अधिकारी
 पहाडी (नरसपुर)

मामप्रसाद
 जमाबन्दी
 2046-49

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या :- 1 उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। विवादित आराजी बांके ग्राम सांवलेर तहसील पहाडी में स्थित है। पत्रावली में संलग्न रिकॉर्ड अनुसार आराजी पूर्व में वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान की कब्जे काश्त की आराजी रही है। उसके उपरान्त वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर गैरखातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार पहाडी के जबाब के मुताबिक आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान की मौरोसी की आराजी थी। ऐसी स्थिति उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :- 2 उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादीगण का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

3. दादरसी :- तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :-

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर साविक 1598/130, 1600/0.30 हाल खसरा नम्बर 2268/1.30, 2270/0.30 बांके ग्राम सांवलेर तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड पहाडी
जिला न्यायालय
मुर्शिदाबाद

आज दिनांक 10/02/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिष्ठात्री
पहाडी (सिबुलपुर)।